

कृषि निदेशालय, बिहार।


संचिका सं०-

3993 कृ०, पटना दिनांक 20 सितम्बर, 2016

आदेश

प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे किसान सलाहकार द्वारा दिये गये फसल आच्छादन प्रतिवेदन का 10% स्वयं सत्यापित करेंगे साथ ही अधीनस्थ पंचायतों में कृषि से संबंधित सभी अभिलेखों एवं पंजियों का निरीक्षण करेंगे एवं पंचायतों में रक्षित रैयती पंजी को अद्यतन करायेंगे।

उक्त से संबंधित प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के मेल (diragri.bih@gmail.com) पर भी उपलब्ध करायेंगे।



(हिमांशु कुमार राय)
20.9.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

3993

कृ०, पटना 20 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



20.9.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

3993

कृ०, पटना 20 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना-सह-प्रभारी, आई०टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



20.9.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

3993

कृ०, पटना 20 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


20.9.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।